प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 130/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

Raj Kumar Devpura Add: Magistrate Colony, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 26/11/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक ऑनलाईन अपील क्रमांक 32963600853259 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 30.06.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्रांक 9903197561 दिनांक 18.08.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/130/25/ 826–27 दिनांक 18.08.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर ने जरिये पत्राक प./41/2/सू.अ/प्र.अ.स./130/25/1086–87 दिनांक 07.11.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु दिनांक 30.06.2025 को ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना संबंधित अनुभाग से प्राप्त कर इस कार्यालय के पत्रांक 8923838289 दिनांक 06.11.2025 द्वारा कुल 15 पृष्ठों की सूचना ऑनलाईन उपलब्ध करवा दी गई है। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर द्वारा जरिये पत्रांक 8923838289 दिनांक 06.11.2025 से अपीलार्थी को ऑनलाईन पोर्टल पर सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय में प्रेषित प्रत्युत्तर के विपरित अपीलार्थी की ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए, ऐसी स्थिति में यह माना उचित होगा है कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है एवं वह प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना/जवाब से संतुष्ट है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06-11-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर